



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1948 (श०)

(सं० पटना 1117) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-19/2026-7582/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 31, 2026]

निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026

निबंधन अधिनियम, 1908 (समय-समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित होगा:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

- (1) यह अधिनियम 'निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026' कहा जा सकेगा।
- (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) (ड़) के बाद 17 (1) (च) को निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा-

“रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज—“रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज” का अभिप्राय है वैसे दस्तावेज जो कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदलने के मकसद से तैयार किया गया हो, जिसके द्वारा ऐसी भूमि का धारक या मालिक उसके भूमि-उपयोग के वर्गीकरण को कृषि से व्यावसायिक उपयोग में बदलना चाहता है।”

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

15 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-19/2026-7583/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2026 को अनुमत निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 31, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 31, 2026]

THE REGISTRATION (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2026

AN

ACT

to amend the Registration act, 1908 (as amended from time to time).

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Registration (Bihar Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Section 17 of the Registration Act, 1908.— Insertion of Section 17(1)(f), After Section 17(1)(e) of the said Act is as follows-

“**Conversion Deed—** ‘**Conversion Deed**’ means a document prepared for the purpose of converting agricultural land for commercial use, whereby the holder or owner of such land intends to change its land-use classification from agricultural to commercial use.”

Balram Dubey,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1117—571+400-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>